

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे । / 258

दिनांक :- 25/08/2022

आदेश संख्या : 61/2025-26

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त, कृषि आयुक्तालय राज जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (जी-22) / आ0कू0 / नवसृजन / ग्रुप-6 / 27916-28121 दिनांक 11/08/2023 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेन्थ में कृषि विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41839) कृषि विभाग कोटपूतली कोटपूतली- बहरोड़ (8002296)	0	0	0	0	0	1
2	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41840) कृषि विभाग खैरथल खैरथल-तिजारा (8002297)	0	0	0	0	0	1
3	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41834) कृषि विभाग डीग (8002294)	0	0	0	0	0	1
4	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41835) कृषि विभाग कुचामनसिटी डीडवाना- कुचामन (8002295)	0	0	0	0	0	1
5	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41842) कृषि विभाग फलौदी (8002298)	0	0	0	0	0	1
6	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41832) कृषि विभाग बालोतरा (8002292)	0	0	0	0	0	1
7	संयुक्त निदेशक (विस्तार)(41833) कृषि विभाग ब्यावर (8002293)	0	0	0	0	0	1
	योग	0	0	0	0	0	7

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2626	3878	5981	12485
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2626	3878	5988	12492

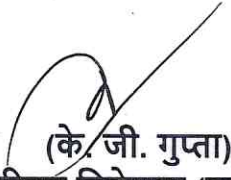
(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे I / 258

दिनांक :- 25/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)